रक्षा लेखा विभाग

अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा-भाग 2(नवीन पाठ्यक्रम)

नवम्बर, 2009

प्रश्न पत्र 8-(अर्हक प्रश्न पत्र)

विषयः कार्यालय पत्र-व्यवहार

अनुमत्य समयः 03 घंटे **अधिकतम अंकः 150**

टिप्पणियाः

1. यह केवल अर्हक प्रश्न पत्र है जिसमें एक अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य रूप से 60 अंक प्राप्त करने चाहिए। इस प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों को न तो अन्य प्रश्न पत्रों में प्राप्त कुल अंकों में गिना जाएगा और न ही जोड़ा जाएगा।

2. अभ्यर्थियों द्वारा 6 प्रश्नों में से चार(4) प्रश्नों का उत्तर दिया जाना है।

3. प्रश्न पत्र 1 अनिवार्य है जिसके 40 अंक हैं । शीर्षक और बिन्दुओं के सार के लिए क्रमशः 5 और 10 अंक मूल संक्षेपण के लिए तथा 25 अंक आरक्षित है।

4. प्रश्न संख्या 2 भी अनिवार्य है जिसके 40 अंक हैं।

5. क्रमांक 3 से 6 में दिए गए प्रश्नों में से अभ्यर्थियों को 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 35 अंक का है जिसका कुल योग 70(35X2) अंक है।

प्रश्न 1. परिशिष्ट 1 से 4 में दिए गए पत्रों का सार प्रस्तुत कीजिए। साथ ही एक उपयुक्त शीर्षक भी सुझाएं और बिन्दुओं का सार प्रस्तुत करें। (40 अंक)

प्रश्न सं0 1 का परिशिष्ट-1 से परिशिष्ट-VI

कार्यालय रक्षा लेखा महानियंत्रक, पश्चिमी खंड-5, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066

प्रधान एकीकृत वितीय सलाहकार विंग

विषयः आयुद्ध यूनिटों द्वारा स्थानीय अधिप्राप्ति

1. आयुद्ध पदस्थितियों की तालिका में प्राधिकृत आयुद्ध भंडारों की स्थानीय खरीद अपने मूल डिपुओं से अनुपबल्धता प्रमाणपत्र को प्राप्त करने के पश्चात यूनिट/फार्मेशनों की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानीय पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से की जाती है। आयुद्ध तथा साथ ही साथ अन्य सक्षण वित्तीय प्राधिकारियों की वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियों(थलसेना) का प्रत्यायोजन, 2006 की अनुसूची-12 में निर्धारित है। अनुसूची-12(सी) के क्रमांक 41 के अधीन आयुद्ध भंडारों की स्थानीय खरीद के लिए ओ.सी. डी.ओ.यू./ओ.एम.सी./ए.डी.ओ.एस. मुख्यालय तोपखाना प्रभाग को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के प्रयोग के संबंध में थलसेना मुख्यालय डी.जी.ओ.एस. और इस कार्यालय के बीच मतभेद उत्पन्न हुआ है। मंत्रालय द्वारा समुचित स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए विविदित विषय के संबंध में नीचे चर्चा की गई है।

2. 33 सशस्त्र डी.ओ.यू. 16 और 24 इन्फैन्ट्री डी.ओ.यू. द्वारा प्रस्तुत आयुद्ध भंडारों की स्थानीय खरीद से संबंधित बिलों पर रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक(एस.डब्ल्यू.सी.) द्वारा निम्नलिखित लेखाटिप्पणियों के साथ आपत्ति की गई हैः

(i) ₹ 50000 से अधिक के आपूर्ति आदेशों को प्रस्तुत किया गया है जो अनुसूची 12(सी) में यथा निर्धारित सी.ओ.डी.ओ. यू. की वित्तीय शक्तियों से परे है। अतः अगले उच्चतर प्राधिकारी की कार्योत्तर मंजूरी आवश्यक है।

(ii) मूल आपूर्ति आदेश और साथ ही साथ उन मामलों में जहां विकल्प की शर्त सम्मिलित की गई है, वहां एक से अधिक बार पुनरादेश दिया गया है और वह संख्या का 50% से अधिक है। चूंकि यह डी.पी.एम. 2006 के पैरा 5.11 का उल्लंघन है, अतः एक कार्याविधिक चूक होने के कारण जी.ओ.सी.इन.सी की स्वीकृति नियम 178 एफ आर पार्ट 1 के अंतर्गत अपेक्षित है।

3. ऊपर क्रमांक (ii) में उल्लिखित जहां तक पुनरादेश का संबंध है वहां रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक(एस.डब्ल्यू.सी.) की आपत्ति को डी.जी.ओ.एस. द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, जिन्होंने यह कहा है कि इस संबंध में संबंधित यूनिटों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएंगें।

उपर्युक्त क्रमांक (i) में निहित विषय के संबंध में सेना प्राधिकारियों के मत नीचे दिए जा रहे हैः

सी.ओ.डी.ओ.यू. की वित्तीय शक्तियां ₹ 50000 प्रतिमद प्रतिदिन की सीमा की शर्तों के अधीन हैं। चूंकि एक आपूर्ति आदेश की मदें विभिन्न प्रकृति की हैं, अतः ₹ 50000 प्रतिमद प्रतिदिन की शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः खरीद सी.ओ.डी.ओ.यू. की शक्तियों की क्षमताओं के अधीन है।

(ii) डी.जी.ओ.एस. द्वारा यह तर्क दिया गया है कि रक्षा मंत्रालय के दिनांक 26 जुलाई 2006 के पत्रांक ए/ 89591/एफपी-1/1974/2006/डी (जी.एस.-1) की अनुसूची XII की मद सं0 34(ए) के समक्ष इस आशय की टिप्पणी के अनुसार कि मौद्रिक सीमा किसी एक समय में प्रति एकल मद के रूप में की गई खरीदों पर लागू होगी, अतः एक विशिष्ट मद के एकल लेनदेन के संदर्भ में शक्तियों पर विचार करना होगा। इसका प्रभावी अर्थ यह होगा कि किसी विशिष्ट दिन एक विशिष्ट मद की एकल लेन-देन को सक्षम वित्तीय प्राधिकारी की परिभाषित वित्तीय शक्तियों से अधिक नहीं होना चाहिए। तदनुसार, एक से अधिक मद के विवरण से निहित और प्रतिमद प्रतिदिन की परिभाषित वित्तीय शक्तियों से अधिक नहीं होना चाहिए।तदनुसार एक से अधिक मद के विवरण से निहित और प्रतिमद प्रतिदिन के लेन-देन के लिए परिभाषित सक्षम वित्तीय प्राधिकारी की शक्तियों से अधिक क धनराशि का योग करते हुए एक बिल को सक्षम वित्तीय प्राधिकारी की शक्तियों से अधिक के एक बिल के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए जब तक कि उसमें सम्मिलित प्रत्येक मद की धनराशि प्रत्यायोजित शक्ति की सीमा के भीतर है।

4. उपर्युक्त के संदर्भ में यह उल्लेख किया जाता है कि अनुसूची XII में दी गई उक्त टिप्पणी विशेष रूप से अनुसूची XII(सी) के क्रमांक 34(ए) के अधीन की गई खरीदों यथा ओ.सी.ए.एफ.एम.एस.डी. के लिए है और वह अनुसूची की अन्य मदों के लिए नहीं है। अनुसूची XII(सी) के क्रमांक 41, जिसके अधीन ओ.सी.डी.ओ.यू. को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, में ऐसी कोई विशिष्ट टिप्पणी वर्णित नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त उक्त रक्षा मंत्रालय के दिनांक 26.07.2006 के पत्र के पैरा 13 के अनुसार अनुसूची में निहित वित्तीय शक्तियां प्रत्येक लेन-देन के संबंध में हैं और निर्दिष्ट वित्तीय शक्तियों के भीतर एक या अधिक मदों को कवर कर सकती हैं। अतः अनुसूची XII(सी) के क्रमांक 41 के अधीन आयुद्ध सक्षम वित्तीय प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित शक्तियां प्रत्येक लेन-देन के लिए होंगी। इसके अतिरिक्त अनुसूची XII(सी) के क्रमांक 6 से 12 के नीचे दी गई टिप्पणी के अनुसार एक लेन-देन को इस रूप में परिभाषित किया गया है."उस दिन अथवा अनुमानित दिनों की संख्या की आवश्यकता पर आधारित आपूर्तिकर्ता को दिए गए सबी आदेशों का मूल्य। जहां एक से अधिक आपूर्तिकर्ता निहित हैं वहां प्रत्येक आपूर्तिकर्ता के साथ किया गया लेन-देन एकल लेन-देन माना जाएगा। तथापि, यदि राशन स्केल के एक मद की खरीद एक से अधिक आपूर्तिकर्ता से की जाती है, तो विशिष्ट तारीख को प्रदान किए गए उस मद के सभी आदेशों के कुल मूल्य को सक्षम वित्तीय प्राधिकारी के निर्धारण के लिए एक साथ लिया जाएगा।" इसके अतिरिक्त प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों(भारत सरकार के दिनांक 26.7.2006 के

पैरा 4 में संदर्भित और उसके परिशिष्ट में उद्धत) के प्रयोग कि लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के पैरा 4 के अनुसार प्रत्येक मामले में नियत मौद्रिक सीमि का विस्तार प्रत्येक अलग स्वीकृति के लिए होता है।

5. इस संदर्भ में डी.जी.ओ.एस. ने अपने उक्त दिनांक 6 सितम्बर 2007 के पत्र में यह व्यक्त किया है कि अपनाई जा रही स्थानीय खरीद की कार्यविधि डी.जी.ओ.एस. तकनीकी अनुदेश 014 और 038 की शर्तों के अधीन है। डी.जी.ओ.एस.टी.आई. 014 (पैरा 3) और 038[पैरा 3(ए)] के अनुसार स्थानीय खरीद के लिए अफसरों की वित्तीय शक्तियां एक ही समय में खरीदी गई किसी वस्तु अथवा समान प्रकार की अनेक वस्तुओं के लिए होंगी। हमारे विचार से चूंकि डी.जी.ओ.एस. तकनीकी अनुदेश मानक संक्रियात्मक कार्यविधि के रूप में है और जो विशिष्ट सरकारी आदेशों/अनुदेशों पर आधारित है, अतः उन्हें इस रूप में अद्यतन किया जाना चाहिए कि वे वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के ताजा सरकारी आदेशों के अनूरूप हो जाएं। तदनुसार इस कार्यालय का यह मत है कि चूंकि उक्त रक्षा मंत्रालय के दिनांक 26.07.2006 के अधीन प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों को भंडारों की अधिप्राप्ति के लिए लागू किया जा रहा है, अतः उक्त पत्र के पैरा 13 के अनुसार वित्तीय शक्तियों के प्रयोग को नियंत्रित करने वाली विद्यमान शर्तों का पालन इस समय तक किया जाता है जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो।

6. डी.जी.ओ.एस. को इस सलाह के साथ उपर्युक्त स्थिति को स्पष्ट किया गया था कि वे अनुसूची XII(सी) के क्रमांक 41 में इस आशय की एक विशेष टिप्पणी सम्मिलित करें जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि डी.जी.ओ.एस. तकनीकी अनुदेश (014 और 038) के अनुसार क्रियाविधि का अनुपालन किया जाएगा और विशेष रूप से मौद्रिक सीमि किसी एक समय प्रति एकल मद के रूप में की गई खरीदों के संदर्भ में न कि प्रत्येक खरीद लेन-देन के लिए लागू होगी।

7. डी.जी.ओ.एस. ने दिनांक 27.12.07 की संख्या ए/28324/ओ.एस.-आई.बी. के पत्र के अनुसार हमारी सलाह को स्वीकर नहीं किया है। उक्त पैरा के पैरा 2 में कहा गया है कि अनुसूची XII में यथा निर्धारित भंडारों की खरीद के लिए आयुद्ध तथा साथ ही साथ अन्य सक्षम वित्तीय प्राधिकारियों की वित्तीय शक्तियां वित्तीय विनियमावली भाग-1 जिल्द 1 के नियम 147 में यथा वर्णित किसी एक मद की खरीद अथवा एक समय में एक समान मदों की किसी भी संख्या की खरीद को संदर्भित करती है। अतः यह दावा किया गया है कि प्रधान एकीकृत वित्तीय सलाहकार का इस आशय का मत कि क्रमांक 34(ए) में अभियुक्ति स्तम्भ में दिया गया यह उपबंध ए.एफ.एम.एस.डी. सक्षम वित्तीय प्राधिकारियों पर लागू होता है और क्रमांक 41 पर आयुद्ध सक्षम वित्तीय प्राधिकारियों पर लागू नहीं होता है, सही नहीं है।

8. उपर्युक्त संदर्भ में यह संकेत किया जाता है कि जहां कहीं भी विद्यमान अनुदेशों के अनुसार संशोधित/बढी हुई शक्तियों का उपयोग किया जाना है, वहां संगत अनुसूचियों में ऐसे आदेशों/अनुदेशों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। उदाहरण के लिए अनुसूची XII(ए), XII(डी), XII(बी), XIV(सी), XX और XXII आदि में विभिन्न क्रमांकों के अधीन दी गई संशोधित शक्तियों के प्रयोग करने के लिए विद्यमान क्रियाविधि के संदर्भों को दिया गया है। डी.जी.ओ.एस. तकनीकी अनुदेशों के अधीन निर्धारित विद्यमान क्रियाविधि को जारी रहने के लिए ऐसे किसी विशिष्ट संदर्भ को वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन की अनुसूची XII(सी) के क्रमांक 41 में नहीं दिया गया है। जैसाकि डी.जी.ओ.एस. द्वारा संकेत किया गया है, नियम 147 वित्तीय विनियमावली भाग-1, यह प्रावधान करता है कि भंडारों की स्थानीय खरीद के मामलें में उक्त अनुसूची XII में निहित प्रत्यायोजित शक्तियां किसी एक वस्तु की खरीद अथवा एक समय में किसी भी संख्या में समान वस्तुओं की खरीद के लिए होती है। तथापि, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन, जुलाई 2006 के अनुसार संशोधित अनुसूची XII में निहित वित्तीय शक्तियां प्रत्येक लेनदेन के लिए हैं और विनिर्दिष्ट वित्तीय शक्तियों के भीतर एक अथवा अधिक मदों की अधिप्राप्ति को कवर करती है। तदनुसार यह सुविचारित मत है कि नियम 147 वित्तीय विनियमावली भाग-1, जिल्द-1 के प्रावधान रक्षा मंत्रालय के दिनांक 26.07.2006 के पत्रांक ए/89591/एफ.पी.1/1974/2006/डी(जी.एस.-1) के पैरा 13 के अधीन जारी संशोधित आदेशों के जारी होने से अब लागू नहीं है। इस संबंध में उक्त सरकारी पत्र का पैरा 4 यह भी स्पष्ट करता है कि वित्तीय शक्तियों का पालन विषय पर समय-समय पर सरकार द्वारा यथा संशोधित विद्यमान आदेशों और अनुदेशों और उसके परिशिष्ट में निहित अनुदेशों/मार्गदर्शी सिद्धांतों और साथ ही वे जिन्हें अनुसूचियों की टिप्पणियों में दिया गया है, के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

9. उपर्युक्त को देखते हुए मामले को रक्षा मंत्रालय(वित्त) के पास इस आशय की पुष्टि के लिए संदर्भित किया जाता है कि अनुसूची XII(सी) के क्रमांक 41 में विशेष उल्लेख के अभाव में मौद्रिक सीमा एक समय में खरीदे गए किसी भी संख्या में समान पदों की खरीदों पर लागू होगी और यह कि 'प्रदि मद' के आधार पर प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग नियमानुसार नहीं है।

अनुकल्पित रूप से वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के आवश्यक संशोधन को जारी किया जाना होगा जिसके द्वारा क्रमांक 41 में इस आशय की एक टिप्पणी सम्मिलित करनी होगी कि यदि उपर्युक्त संदर्भित डी.जी.ओ.एस.टी.आई. 014 और 038 में निहित प्रावाधान को जारी रखा जाता है तो ये शक्तियां प्रत्येक मद के लिए हैं।

प्रधान एकीकृत वित्तीय सलाहकार द्वारा अवलोकित।

-ह0-
रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक
(आई.एफ.ए.)

श्री अमित कौशिश, आई.डी.ए.एस.
अतिरिक्त वित्तीय सलाहकार और संयुक्त सचिव
रक्षा मंत्रालय(वित्त)
साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली-11

अ.टि.पी.आई.एफ.ए./सामा.पत्रा./आई.एफ.ए.(आर्मी/ओ) जिल्द-2
दिनांकः 31.01.2008

प्रतिलिपि प्रेषितः

(1) र.ले.प्र.नि.(द.प.क.)
खातीपुरा रोड, जयुपर...इस कार्यालय के दिनांक 04.10.07 के समसंख्यक पत्रांक के अनुक्रम में उपर्युक्त डी.जी.ओ.एस. का दिनांक 27.12.07 का पत्र संलग्न है।

(2) रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक ले.प. 1 (स्थानीय)____________________डी.ओ.____________________

(3) डी.जी.ओ.एस., एम.जी.ओ. ब्रांच
आई.एच.क्यू. रक्षा मंत्रालय(सेना)
नई दिल्ली-110010

सूचनार्थ

-ह-
र.ले.संयुक्त म.नि.(ए.वि.स.)

परिशिष्ट-II

रक्षा मंत्रालय (वित्त)

विषयः आयुद्ध यूनिटों द्वारा स्थानीय खरीद।

कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक ने अपने दिनांक 31.01.2008 की अ.टि.संख्या पी.आई.एफ.ए./जन.कोर./आईएफए (आर्मी/ए/ओ) वॉल्यू-II के द्वारा इस पुष्टि की अपेक्षा की है कि रक्षा मंत्रालय के दिनांक 26 जुलाई 2006 के पत्रांक ए/89591/ एफ.पी.-1/1974/2006/डी(जी.एस.1) की अनुसूची XII(सी) के क्रमांक 41 में एक विशेष उल्लेख के अभाव में उसमें उल्लिखित मौद्रिक सीमा एक समय में खरीदे गए किसी भी संख्या में समान मदों की खरीदों पर लागू होंगी और यह कि 'प्रति मद' के आधार पर प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग नियमानुसार नहीं हैं। यह भी सुझाव दिया गया है कि यदि शक्तियों का प्रयोग 'प्रदि मद' के आधाप पर किया जाना है तो उपरिकथित सरकारी पत्र को संशोधित किया जाना होगा जिसमें क्रमांक 41 में इस आशय की एक टिप्पणी जोड़नी पड़ेगी कि ये शक्तियां डीजीओएसटीआई 014 और 038 में यथा उल्लिखित प्रत्येक मद के लिए है।

2. संगत आदेशों और रक्षा लेखा महानियंत्रक तथा डीजीओएस के बीच हुए पत्राचार के आलोक में मामले का परीक्षण किया गया है। उपरिकथित सरकारी पत्र के क्रमांक 41 के अनुसार ओसीडीओयू/ओएमसी/एडीओएस मुख्यालय तोपखाना प्रभाग क्रमशः भडारों की स्थानीय खरीद और रोकड़ खरीद के लिए ₹ 50000 और ₹ 14000 तक की राशियों का उपयोग कर सकते हैं। इन शक्तियों का प्रयोग एकीकृत वित्तीय सलाहकार के परामर्श के बिना किया जाता है। क्रम संख्या 41 के अभ्युक्ति स्तंभ में कोई अन्य शर्त नहीं है। तथापि उपरिकथित सरकारी पत्र का पैरा 13 इस बात का प्रावधान करता है कि अनुसूचियों में निहित वित्तीय शक्तियां प्रत्येक लेन-देन के संबंध में हैं और निर्दिष्ट वित्तीय शक्तियों के भीतर एक अथवा अधिक मदों की अधिप्राप्ति को कवर कर सकती हैं। उक्त पैरा में आगे यह प्रावधान है कि खरीद आदेश को एक निचले सक्षम वित्तीय प्राधिकारी की प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के भीतर लाने के उद्देश्य से विभक्त नहीं किया जाएगा। प्रत्यक्षतः इसका अर्थ यह होगा कि प्रत्येक लेन-देन, भले की वह चाहे एक मद के संबंध में हो अथवा एक से अधिक मद के लिए हो, उसे प्रत्यायोजित शक्तियों की वित्तीय सीमा के भीतर होना चाहिए।

3. यहां तक कि वित्तीय विनियमावली भाग 1, जिल्द 1 इस बात का प्रावधान करता है कि भंडारों की स्थानीय खरीद के मामले में एक अधिकारी की वित्तीय शक्तियां उस सीमा तक विस्तारित होती है जिस सीमा तक किसी एक वस्तु की खरीद अथवा एक समय में समान प्रकार की कितनी भी संख्या में वस्तुओं की की गई खरीद का प्रावधान परिशिष्ट II भाग 1 सेना की अनुसूची XII में किया गया है। डी जी ओ एस टी आई संख्या 014(परिशोधित) तथा साथ ही साथ डी जी ओ एस टी आई 038 (निर्गम 1) का पैरा 3(ए) यह प्रावधान करता है कि कथित पैरा में निर्दिष्ट अधिकारीगण किसी एक वस्तु अथवा एक ही समय में अनेक संख्या में वस्तुओं की की गई खरीद के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेंगे प्रत्यक्षतः इन प्रावधानों का विवेचन इस रूप में नहीं किया जा सकता है कि उसका अर्थ यह हो कि विद्यमान शक्तियों का प्रयोग अलग-अलग रूप में प्रत्येक मद के संबंध किया जा सकता है उस समय भी जब बड़ी संख्या में मदों की खरीद ठीक उसी और संभवतः उसी आपूर्ति आदेश के माध्यम से की जा रही है। तथापि प्रधान एकीकृत वित्तीय सलाहकार को संबोधित एम.जी.ओ. शाखा के दिनांक 27 दिसम्बर 2007 के पत्रांक ए/28324/ओ एस-1 बी के अवलोकन से यह प्रतीत होगा कि अबी तक यह परंपरा रही है कि उस समय भी जब बड़ी संख्या में खरीद एक ही आपूर्ति आदेश के अधीन की जाती है वहां अलग-अलग रूप मे प्रत्येक मद के संदर्भ में शक्तियों का प्रयोग किया जाता है।

4. वित्तीय विनियमावली में निर्धारित स्थानीय खरीद की शक्तियां नई नहीं हैं। डी.जी.ओ.एस. के तकनीकी अनुदेश जिनका सहारा एम.जी.ओ. शाखा द्वारा अलग-अलग रूप मं प्रत्येक मद के संदर्भ में शक्तियों के उपयोग को उचित ठहराने के लिए किया जा रहा है वे भी नए नहीं हैं। वस्तुतः वित्तीय विनियमावली और तकनीकी अनुदेश के प्रावधान समान हैं और दिनांक 26 जुलाई 2006 के सरकारी पत्र में किसी अभ्युक्ति के अभाव में एम.जी.ओ. शाखा द्वारा ठीक इन्हीं प्रावधानों को इस तर्क के साथ उद्धरित किया जा रहा कि ये शक्तियां अलग-अलग रूप में प्रत्येक मद के संबंध में प्रयोग के योग्य हैं। अतः इस बात का पता लगानि अपेक्षित होगा कि भूतकाल में इस शक्तियों का प्रयोग किस रूप में

किया जाता रहा था तथा साथ ही अन्य श्रेत्रीय नियंत्रकों द्वारा क्या नीति अपनाई जा रही है। यह महत्व+-पूर्ण है क्योंकि इस मामले पर इस रूप में निर्णय देना उचित नहीं होगा कि उससे पिछले अनेक दशकों से वित्तीय लेखा नियंत्रकों द्वारा प्रयोग की जा रही शक्तियों को सीमित कर दिया जाए। रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय इस संबंध में स्थिति की जानकारी नियंत्रकों से कृपया प्राप्त करें और स्पष्ट करें क्योंकि इस विषय में लिए जाने वाले निर्णय के जमीनी हकीकत की स्थिति को अवश्य ही ध्यान में रखा जाना चाहिए।

-ह-
वित्तीय अपर सलाहकार(ए)
और संयुक्त सचिव

रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक(एकीकृत वित्तीय सलाहकार)

रक्षा मंत्रालय(वित्त) अं.वि. सं0 1188/एडीशनल एफ.ए.(ए)
दिनांकः 1 मई 2008

परिशिष्ट-111

कार्यालय रक्षा लेखा महानियंत्रक, पश्चिमी खंड-5, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066
प्रधान एकीकृत वित्तीय सलाहकार विंग

विषयः आयुद्ध यूनिटों द्वारा स्थानीय अधिप्राप्तियां

संदर्भः श्री अमित कौशिश, अपर वित्तीय सलाहकार(ए) एवं संयुक्त सचिव को संबोधित और अन्यों के साथ ए.टी. विंग को प्रतिलिपि पृष्ठांकित इस कार्यालय की समसंख्यक अनौपचारिक टिप्पणी।

उपर्युक्त संदर्भित पत्र के उत्तर में प्रेषित रक्षा मंत्रालय(वित्त) की दिनांक 01.05.08 की अ.वि. सं0 1188/एडीशनल एफ.ए.(ए) की एक प्रति एतद्द्वारा संलग्न है।

2. विषय में अंतिम निर्णय लिए जाने से पूर्व रक्षा मंत्रालय(वित्त) ने अपने पैरा 4 में इस बात को जानना चाहा है कि पूर्व में इन शक्तियों का प्रयोग किस रूप में किया जाता रहा था और साथ ही अन्य क्षेत्रीय नियंत्रकों द्वारा क्या नीति अपनाई जा रही है। अतः निवेदन है कि मामले को रक्षा मंत्रालय (वित्त) के साथ उठाने के लिए ए.टी. विंग द्वारा स्थिति से कृपया अवगत कराया जाए।

प्रधान एकीकृत वित्तीय सलाहकार द्वारा अवलोकित।

-ह-
एकीकृत वित्तीय उप सलाहकार(ए)

रक्षा लेखा संयुक्त महानयंत्रक(ले.प.॥)

सं0 पीआईएफए/जन कोर/आईएफए(ए/ओ)/वाल्यूम ॥
दिनांकः 11 जून 08

<u>परिशिष्ट-IV</u>

कार्यालय रक्षा लेखा महानियंत्रक, पश्चिमी खंड-5, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066
प्रधान एकीकृत वित्तीय सलाहकार विंग

विषयः आयुद्ध यूनिटों द्वारा स्थानीय खरीद

संदर्भः आपकी 11.06.2008 की अ0टि0 सं0 पीआईएफए/जन कोर/आईएफए(ए/ओ)/वाल्यूम ॥

विभिन्न क्षेत्रीय नियंत्रकों द्वारा अपनाई जा रही पद्धतियां प्राप्त हो गई हैं। यह देखा गया है कि क्षेत्रीय नियंत्रकों के कार्यलयों द्वारा विभिन्न व्याख्याओं सहित भिन्न-भन्न पद्धति अपनाई जा रही है। रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक(उत्तरी कमान) जम्मू, रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक(प.क.) चण्डीगढ़, रक्षा लेखा नियंत्रक, गुवाहाटी और रक्षा लेखा नियंत्रक, जबलपुर वित्तीय शक्तियों को एक मद अथवा ठीक उसी समय खरीदी गई समान प्रकार की मदों के समूह के संदर्भ में विनियमित कर रहे हैं, जबकि रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक(म.क.), लखनऊ, रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक(द.प.क.), जयपुर, रक्षा लेखा नियंत्रक(सेना), मेरठ, रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना और रक्षा लेखा नियंत्रक, सिकन्दराबाद प्रत्येक लेन-देन के संदर्भ में शक्तियों को विनियमित कर रहे हैं।

इस संबंध में मुख्यालय के लेखा परीक्षा विंग ने आगे यह भी कहा है किः

(i) डी.जी.ओ.एस. का यह तर्क कि वित्तीय शक्तिया, रक्षा मंत्रालय के दिनांक जुलाई 2006 के पत्र की अनुसूची 12 की टिप्पणी 34(ए) के अधीन अभ्युक्ति के आधार पर किसी एक समय में एकल मद की खरीद पर लागू होती है, वह तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ये अभ्युक्तियां केवल क्रमांक 34(ए) अर्थात चिकित्सा भंडारों के लिए ही लागू होती है।

(ii) प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों को लागू करने वाले दिनांक जुलाई 2006 के सरकारी पत्र के पैरा 13 द्वारा एक लेन-देन में एक से अधिक मदों को सम्मिलित करने का प्रावधान है और यह स्पष्ट किया गया है कि एक अथवा अधिक मदों के साथ लेन-देन सक्षम प्राधिकारी की वित्तीय शक्तियों को नहीं बढ़ा सकती है।

(iii) अनुसूची 12(सी) की टिप्पणी 5 के अनुसार इस बात का प्रावधान है कि सीधी खरीद की सीमा प्रत्येक वस्तु अथवा किसी एक समय में खरीदी गई एक समान वस्तुओं के समूह पर लागू होती है। पैरा 13 के साथ इन प्रावधानो की प्रत्यक्ष विसंगति है।

चूंकि क्षेत्र में अपनाई जा रही भिन्न प्रकार की पद्धति समरूपी नहीं है और सरकारी पत्र के भिन्न-भिन्न प्रावधानों की व्याख्या में वास्तविक क्रम की गुंजाइश की संभावना है, अतः ऐसा अनुभव किया जाता है कि एक मानक मार्ग के निर्धारण के लिए रक्षा मंत्रालय(वित्त) को इस विषय में नए सिरे से विचार करना होगा।

-ह-
रक्षा लेखा उप महानियंत्रक(ले.प.)

प्रधान एकीकृत वित्तीय सलाहकार विंग(स्थानीय)

अ.शा. सं एटी/IX/9047-2007(पी.सी.)
दिनांकः 17.02.2009

परिशिष्ट-V

<u>कार्यालय रक्षा लेखा महानियंत्रक, पश्चिमी खंड-5, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066</u>

<u>प्रधान एकीकृत वित्तीय सलाहकार विंग</u>

विषयः आयुद्ध यूनिटों द्वारा स्थानीय खरीद

संदर्भः इस कार्यालय का दिनांक 31.01.08 तथा 11.06.08 का समसंख्यक पत्र तथा आपकी दिनांक 1.5.2008 की अं.वि. सं0 1188/एडिशनल एफ ए(ए)

रक्षा मंत्रालय(वित्त) की दिनांक 1.5.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए दिनांक 26.07.2006 के प्रत्यायोजित वित्तीय शक्ति की सारणी XII के अधीन उक्त सारणी में अदद सक्षम वित्तीय प्राधिकारी पर निर्णय देने के लिए आयुद्ध भंडारों की स्थानीय खरीद के लिए क्षेत्रीय नियंत्रकों के विभिन्न कार्यालय द्वारा अपनाई जा रही पद्धति को उनसे मांगा गया था।

2. विभिन्न क्षेत्रीय नियंत्रकों द्वारा अपनाई जा रही पद्धति को प्राप्त कर लिया गया है। विभिन्न क्षेत्रीय नियंत्रकों द्वारा अपनाई जा रही पद्धतियां प्राप्त हो गई हैं। यह देखा गया है कि क्षेत्रीय नियंत्रकों के कार्यलयों द्वारा विभिन्न व्याख्याओं सहित भिन्न-भन्न पद्धति अपनाई जा रही है। रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक(उत्तरी कमान) जम्मू, रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक(प.क.) चण्डीगढ़, रक्षा लेखा नियंत्रक, गुवाहाटी और रक्षा लेखा नियंत्रक, जबलपुर वित्तीय शक्तियों को एक मद अथवा ठीक उसी समय खरीदी गई समान प्रकार की मदों के समूह के संदर्भ में विनियमित कर रहे हैं, जबकि रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक(म.क.), लखनऊ, रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक(द.प.क.), जयपुर, रक्षा लेखा नियंत्रक(सेना), मेरठ, रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना और रक्षा लेखा नियंत्रक, सिकन्दराबाद प्रत्येक लेन-देन के संदर्भ में शक्तियों को विनियमित कर रहे हैं।

3 इस संबंध में मुख्यालय के लेखा परीक्षा विंग ने आगे यह भी कहा है किः

(i) डी.जी.ओ.एस. का यह तर्क कि वित्तीय शक्तिया, रक्षा मंत्रालय के दिनांक जुलाई 2006 के पत्र की अनुसूची 12 की टिप्पणी 34(ए) के अधीन अभ्युक्ति के आधार पर किसी एक समय में एकल मद की खरीद पर लागू होती है, वह तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ये अभ्युक्तियां केवल क्रमांक 34(ए) अर्थात चिकित्सा भंडारों के लिए ही लागू होती है।

(ii) प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों को लागू करने वाले दिनांक जुलाई 2006 के सरकारी पत्र के पैरा 13 द्वारा एक लेन-देन में एक से अधिक मदों को सम्मिलित करने का प्रावधान है और यह स्पष्ट किया गया है कि एक अथवा अधिक मदों के साथ लेन-देन सक्षम प्राधिकारी की वित्तीय शक्तियों को नहीं बढ़ा सकती है।

(iii) अनुसूची 12(सी) की टिप्पणी 5 के अनुसार इस बात का प्रावधान है कि सीधी खरीद की सीमा प्रत्येक वस्तु अथवा किसी एक समय में खरीदी गई एक समान वस्तुओं के समूह पर लागू होती है। पैरा 13 के साथ इन प्रावधानो की प्रत्यक्ष विसंगति है।

4. उपर्युक्त को देखते हुए रक्षा मंत्रालय(वित्त) से निवेदन है कि वे इस बात की पुष्टि करें कि क्या अनुसूची XII(सी) के क्रमांक 35 से 41 के समक्ष विशेष उल्लेख के अभाव में, मौद्रिक सीमा एक मद अथवा एक समय में एक समान प्रकार की मदों की किसी भी संख्या में खरीद पर लागू होगा वैकल्पिक रूप से यदि डी.जी.ओ.एस. तकनीकी अनुदेश 014 और 038 में निहित प्रावधान को जारी रखा जाना है तो क्रमांक 35-41 में तारांकन के साथ यह जोड़कर कि ये शक्तियां प्रत्येक समय की मद के लिए हैं, वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन में आवश्यक संशोधन को जारी किए जाने पर विचार किया जाए।

प्रधान एकीकृत वित्तीय सलाहकार द्वारा अवलोकित।

-ह-

रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक(ले.प.)

श्री अमित कौशिश, भा.र.ले.से.

संयुक्त सचिव और अपर वित्तीय सलाहकार,
रक्षा मंत्रालय(वित्त)
साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
सं0 पी.आई.एफ/जन कोर्स/आईएएफ(ओ)/वॉल्यूम-II
दिनांकः 27.03.09

<u>**परिशिष्ट-VI**</u>

कार्यालय रक्षा लेखा महानियंत्रक, पश्चिमी खंड-5, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066
(प्रधान एकीकृत वित्तीय सलाहकार विंग)

पी.आई.एफ/जनकोर्स/आईएएफ(ओ)/वॉल्यूम-II 2009 की अनुदेश संख्या
दिनाकः 26.5.2006

सेवा में,

सभी र.ले.प्र.नि./र.ले.नि./ए.वि.स.(एकनिष्ठ एवं मनोनीत)

विषयः आयुद्ध भंडारों की स्थानीय खरीद

आयुद्ध भंडारों की स्थानीय खरीद

विभिन्न डिपों के सक्षम वित्तीय प्राधिकारियों द्वारा आयुद्ध भंडारों की स्थानीय खरीद के संबंध में डी.जी.ओ.एस. द्वारा यह दृष्टिकोण अपनाया गया था कि अनुसूची XII(सी) के क्रमांक 41 में निहित प्रत्यायोजित शक्तियों पर विशिष्ट मद के एकल लेन-देन के आलोक में विचार किया जाना होगा। डी.जी.ओ.एस.टी.आई. 014 और 038 यह प्रावधान करता है कि वित्तीय शक्तियां किसी एक मद अथवा ठीक एक ही समय में समान प्रकार की संख्या में खरीदी गई स्थानीय खरीद के लिए होंगी। उसके अतिरिक्त अनुसूची XII(सी) के अधीन दी गई टिप्पणी 5 के अनुसार सीधी खरीद की सीमा प्रत्येक वस्तु अथवा किसी एक समय में खरीदी गई समान प्रकार की वस्तुओं के समूह के मूल्य पर लागू होनी है। तथापि भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के दिनांक 26.07.2006 के पैरा 13 में यह प्रावधान है कि सारणियों में निहित वित्तीय शक्तियां प्रत्येक लेन-देन के संबंध में हैं और निर्दिष्ट वित्तीय शक्तियों के भीतर एक अथवा अधिक मदों की अधिप्राप्ति को कवर कर सकती है। इस प्रकार डी.जी.ओ.एस.टी.आई. और अनुसूची XII(सी) के अधीन टिप्पणी 5 के प्रावधानों में परिशोधित प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों पर दिनांक 26.07.2006 के सरकारी पत्र के पैरा 13 के साथ विरोधाभास है।

2. अतः रक्षा मंत्रालय(वित्त) के पास स्पष्टीकरण के लिए भेजा गया था। रक्षा मंत्रालय(वित्त) ने दिनांक 08.05.2009 के अ.वि. सं0 1655/एडीशनल एफए(ए)/09 में यह स्पष्ट किया है कि नियम 147 वित्तीय विनियमावली भाग-1, 1983, तथा उसके नीचे की टिप्पणी (i) तथा (ii) तथा दिनांक 26.07.2006 के भारत सरकार के पत्र की अनुसूची XII(सी) के अधीन टिप्पणी(4) के प्रावधानों पर विचार करते हुए अनुसूची XII(सी) के क्रमांक 35-41 में दी गई मौद्रिक सीमा एक मद अथवा एक समय में कितनी भी संख्या में समान मदों की की गई खरीद पर लागू होगा।

-ह-
रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक
(एकीकृत वित्तीय सलाहकार)

उत्तर 1

शीर्षकः1 भंडार का स्थानीय क्रय - स्पष्टीकरण

सार बिन्दु

1. डीजीओएस द्वारा देखा गया कि अनुसूची 12(सी) क्रम सं0 41 के अधीन प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियां किसी एक समय में प्रति एकल मद की क्रय से संबंधित है।
2. डीसीओएस टी1 014 एवं 038 यह प्रवधान करता है कि वित्तीय शक्तियां किसी एक मद अथवा ठीक एक ही समय में समान प्रकार की संख्या में खरीदी गई स्थानीय खरीद के लिए होंगी।
3. दिनांक 26 जुलाई 2006 के सरकारी पत्र के पैरा 13 में यह प्रावधान है कि अनुसूचियों में निहित वित्तीय शक्तियां प्रत्येक लेनदेन के संबंध में हैं।
4. इस प्रकार इन प्रावधानों में सरकारी पत्र के पैरा 13 के साथ प्रत्यक्ष विरोधाभास है।
5. प्र.ए.वि.स. का दृष्टिकोण है कि डी.जी.ओ.एस. टी.आई. 014 एवं 038 मानक संक्रियात्मक कार्यविधि की स्थिति में है तथा वित्तीय शक्तियों के संशोधित प्रत्यायोजन के आधार पर अद्यतन किया जाना अपेक्षित है।
6. प्र.ए.वि.स. ने डी.जी.ओ.एस. को डी.जी.ओ.एस. टी.आई. 014 एवं 038 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूची 12(सी) के क्रम सं0 41 के प्रति विशिष्ट टिप्पणियों को शामिल करने के लिए रक्षा मंत्रालय के समक्ष मामले को उठाने की सलाह दी, जिसे डी.जी.ओ.एस. द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।
7. डी.जी.ओ.एस., प्र.ए.वि.स. के दृष्टिकोण से भी सहमत नहीं है कि सरकारी पत्र के क्रम सं0 34(क) के प्रति टिप्पणियां केवल ए.एफ.एम.एस.डी. पर ही लागू हैं।
8. प्र.ए.वि.स. द्वारा मामले को रक्षा मंत्रालय(वित्त) के पास स्पष्टीकरण के लिए भेजा गया था।
9. रक्षा मंत्रालय द्वारा दर्शाया गया कि न तो एफ.आर. न ही डी.जी.ओ.एस. तकनीकी अनुदेश नए हैं, क्षेत्रीय नियंत्रकों द्वारा पूर्व में अपनाई जा रही पद्धति प्राप्त की जा सकती हैं।
10. क्षेत्रिय नियंत्रकों के दृष्टिकोण जानने के पश्चात ज्ञात हुआ हुआ कि वे विभिन्न पद्धतियां अपना रहे थे.
11. प्र.ए.वि.स. द्वारा लेखा परीक्षा स्कंध के दृष्टिकोण को विधिवत दर्शाते हुए रक्षा मंत्रालय(वित्त) को उक्त से अवगत करा दिया गया।
12. रक्षा मंत्रालय द्वारा स्पष्ट किया गया कि अनुसूची 12(सी) के क्रमांक 35-41 पर मौद्रिक सीमाएं किसी एक मद अथवा ठीक एक ही समय में समान प्रकार की किसी भी संख्या में खरीदी गई स्थानीय खरीद के लिए होंगी।

सारलेख

33 सशस्त्र डी.ओ.यू द्वारा प्रस्तुत स्थानीय क्रय बिल पर र.ले.प्र.नि.(द.प.क.) द्वारा इस आधार आपत्ति दर्ज की गई कि ₹ 50,000/- का बिल, रक्षा मंत्रालय के दिनांक 26 जुलाई 2006 के पत्र की अनुसूची 12(सी) के अनुसार सी.ओ. डी.ओ.यू. की वित्तीय शक्तियों के बाहर है। सैन्य प्राधिकारियों का दृष्टिकोण था कि सी.ओ. डी.ओ.यू. की वित्तीय शक्तियां ₹ 50,000/- प्रतिमद प्रतिदिन की सीमा की शर्तों के अधीन हैं। डी.जी.ओ.एस. द्वारा प्रतिविरोध किया गया कि रक्षा मंत्रालय के दिनांक 26 जुलाई 2006 के पत्र की अनुसूची 12(सी) की मद सं0 34(ए) के प्रति दी गई टिप्पणियों के अनुसार मौद्रिक सीमा एक ही समय में प्रति एकल मद पर क्रय की गई मद पर लागू होगी। तदनुसार, बिल जिसमें एक मद से अधिक का ब्यौरा निहित है तथा जिसकी राशि प्रतिमद प्रतिदिन के लेनदेन के लिए वि.ले.नि. की परिभाषित शक्ति से अधिक हो को वि.ले.नि. की शक्ति से बाहर का बिल न माना जाए। प्र.ए.वि.स. का दृष्टिकोण था कि अनुसूची 12 की मद सं0 34(ए) के प्रति दी गई टिप्पणियां केवल ओ.सी. तथा ए.एफ.एम.सी.डी. पर ही लागू हैं तथा अनुसूची 12 की मद सं0 41 के प्रति ऐसी कोई टिप्पणियां नहीं दर्शाई गई हैं जिनके अधीन सी.ओ. डी.ओ.यू. को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। इसके अतिरिक्त रक्षा मंत्रालय के दिनांक 26 जुलाई 2006 के पत्र के पैरा 13 के अनुसार अनुसूची में निहित वित्तीय शक्तियां प्रत्येक लेन-देन के संबंध में हैं और निर्दिष्ट वित्तीय प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित शक्तियां प्रत्येक लेन-देन के लिए होगी। अतः अनुसूची 12(सी) के क्रमांक 41 के अधीन आयुद्ध सक्षम वित्तीय प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित शक्तियां प्रत्येक लेन-देन न कि एकल मद के लिए होंगी।

डी.जी.ओ.एस. ने अपने दिनांक 6/9/2007 के पत्र में यह व्यक्त किया है कि अपनाई जा रही स्थानीय खरीद की कार्यविधि डी.जी.ओ.एस. तकनीकी अनुदेश 014 और 038 की शर्तों के अधीन है जिसमें व्यक्त किया गया है कि स्थानीय खरीद के लिए अफसरों की वित्तीय शक्तियां एक ही समय में खरीदी गई किसी एक वस्तु अथवा समान प्रकार की अनेक वस्तुओं के लिए होंगी। प्र.ए.वि.स. का दृष्टिकोण था कि चूंकि उपर्युक्त अनुदेश विनिर्दिष्ट सरकारी आदेशों/ अनुदेशों पर आधारित मानक संक्रियात्मक कार्यविधि के रूप में हैं अतः उन्हें रक्षा मंत्रालय के दिनांक 26 जुलाई, 2006 के पत्र के अधीन वित्तीय शक्तियों के नवीनतम प्रत्यायोजन को दृष्टि में रखते हुए अद्यतन करने की आवश्यकता है। अतः डी.जी.ओ.एस. को डी.जी.ओ.एस. टी.आई. 014 एवं 038 के अनुसार अनुसूची 12(सी) के क्रम सं0 41 के प्रति विशिष्ट टिप्पणियों को शामिल करने के लिए रक्षा मंत्रालय के समक्ष मामले को उठाने की सलाह दी गई जिसे डी.जी.ओ.एस. द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने उल्लेख किया है कि अनुसूची 12 के अधीन प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का अर्थ जैसा कि नियम-147 एफ आर भाग 1 में उल्लिखित है, किसी एक मद का क्रम या एक ही समय पर क्रय की गई किसी भी संख्या में मदों से है, डी.जी.ओ.एस., प्र.ए.वि.स. के दृष्टिकोण से भी सहमत नहीं है कि पूर्वोक्त सरकारी पत्रके क्रमांक 34(ए) के प्रति टिप्पणियां ए.एफ.एम.एस.डी. पर लागू हैं पर क्रमांक 41 पर आयुद्ध वि.ले.नि. पर नहीं।

तदनुसार, प्र.ए.वि.स. द्वारा मामले को रक्षा मंत्रालय(वित्त) के पास इस आशय की पुष्टि के लिए भेज दिया गया कि अनुसूची 12(सी) के क्रमांक 41 में विशेष उल्लेख के अभाव में मौद्रिक सीमा एक समय में खरीदे गए किसी भी संख्या में समान मदों की खरीदों प लागू होगी और यह प्रतिमद के आधार पर प्रत्यायोजित शक्तियों का नियमानुसार नहीं है। अनुकल्पित रूप से वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के आवश्यक संशोधन को जारी किया जाना होगा जिसके द्वारा क्रमांक 41 में इस आशय की एक टिप्पणी सम्मिलित करनी होगी कि यदि उपर्युक्त संदर्भित डी.जी.ओ.एस. टी.आई. 014 और 038 में निहित प्रावधान को जारी रखा जाता है तो ये शक्तियां प्रत्येक मद के लिए हैं।

रक्षा मंत्रालय(वित्त) द्वारा मामले की जांच की गई तथा उन्होंने उल्लेख किया कि क्रमांक 41 के टिप्पणी कॉलम में कोई अन्य शर्त नहीं है, तथापि उपरिकथित सरकारी पत्र का पैरा 13 इस बात का प्रावधान करता है कि अनुसूचियों में निहित वित्तीय शक्तियां प्रत्येक लेन-देन के संबंध में हैं और निर्दिष्ट वित्तीय शक्तियों के भीतर एक अथवा अधिक मदों की अधिप्राप्ति को कवर कर सकती है। रक्षा मंत्रालय ने आगे उल्लेख किया है कि पैरा 147, एफ.आर भाग 1 में में प्रावधान है कि वित्तीय शक्तियां उस सीमा तक विस्तारित रहती हैं जिस सीमा तक किसी एक वस्तु की खरीद अथवा एक समय में समान प्रकार की कितनी भी संख्या में खरीद की गई हो। समान प्रावधान डी.जी.ओ.एस. टी.आई. 014 और 038 में निहित हैं। इन प्रावधानों का विवेचन इस रुप में नहीं किया जा सकता है कि उसका अर्थ यह हो कि विद्यमान शक्तियों का प्रयोग अलग-अलग रूप में प्रत्येक मद के संबंध में किया जा सकता है, उस समय भी जब बड़ी संख्या में मदों की खरीद ठीक उस समय और उसी आपूर्ति आदेश के अधीन की जा

रही हो। तथापि, एम.जी.ओ. शाखा के दिनांक 27 दिसम्बर, 2007 के पत्र के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अभी तक यह परंपरा रही है कि उस समय भी जब बड़ी संख्या में खरीद एक ही आपूर्ति आदेश के अधीन की जाती है, वहां पृथक रूप में प्रत्येक मद के संदर्भ में शक्तियों का उपयोग किया जाता है। रक्षा मंत्रालय ने आगे उल्लेख किया है कि एफ.आर. एवं डी.जी.ओ.एस. टी.आई. तकनीकी अनुदेशों के अधीन प्रावधान नए नहीं हैं तथा वस्तुतः दोनों में प्रावधान समान हैं किन्तु दिनांक 26 जुलाई 2006 के सरकारी पत्र में किसी अभ्युक्ति के अभाव में एम.जी.ओ.शाखा द्वारा ठीक इन्हीं प्रावधानों को तर्क के साथ उद्धरित किया जा रहा है कि ये शक्तियां अलग-अलग रुप में प्रत्येक मद के संबंध में प्रयोग के योग्य हैं। अतः रक्षा मंत्रालय ने उल्लेख किया है कि इस बात का पता लगाना अपेक्षित होगा कि भूतकाल में इस शक्तियों का प्रयोग किस रूप में किया जाता रहा था तथा क्षेत्रीय नियंत्रकों द्वारा क्या नीति अपनाई जा रही है। प्र.ए.वि.स. से अनुरोध किया गया था कि वे नियंत्रकों द्वारा इस संबंध में अपनाई जा रही नीतियों की जानकारी प्राप्त करें।

तदनुसार, प्र.ए.वि.स. ने क्षेत्रीय नियंत्रकों द्वारा अपनाई जा रही नीतियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए मामले को र.ले.म.नि. के लेखा परीक्षा अनुभाग के समक्ष उठाया। क्षेत्रीय नियंत्रकों से दृष्टिकोण प्राप्त करने के पश्चात लेखा परीक्षा स्कंद ने उल्लेख किया कि ये कार्यालय विभिन्न पद्धतियां अपना रहे हैं। उन्होनें आगे सूचित किया कि (i) अनुसूची 12 की टिप्पणी 34(ए) के अधीन टिप्पणियां केवल चिकित्सा भंडारों पर ही लागू हैं (ii) जुलाई 2006 के सरकारी पत्र के पैरा 13 में विनिर्दिष्ट किया गया है कि एक या अधिक मदों की लेन-देन वि.ले.नि. की वित्तीय शक्तियों से अधिक नहीं हो सकती तथा (iii) अनुसूची 12(सी) की टिप्पणी-5 के अनुसार सीधी खरीद की सीमा प्रत्येक मद या एक ही समय पर खरीदी गई समान वस्तुओं की श्रेणी पर लागू होती है। अतः पैरा-3 के साथ इन प्रावधानों का प्रकट विरोधाभास है और अतः रक्षा मंत्रालय को एक मानक दृष्टिकोण निर्धारित करने के लिए इस मुद्दे पर नए सिरे से देखना होगा।

तदनुसार, प्र.ए.वि.स. द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय नियंत्रकों द्वारा अपनाई जा रही पद्धतियों के संबंध में लेखापरीक्षा स्कंद के विचारों से रक्षा मंत्रालय को अपने दिनांक 27 मार्च 09 की अ.शा. के तहत अवगत करा दिया गया। प्र.ए.वि.स. ने रक्षा मंत्रालय से अनुरोध किया वे पुष्टि करें कि क्या अनुसूची 12(सी) के क्रमांक 35 एवं 41 में विनिर्दिष्ट उल्लेख के अभाव में मौद्रिक सीमा किसी मद या एक ही समय में समान मदों की किसी भी संख्या की खरीध पर लागू होगी। यदि डी.जी.ओ.एस. टी.आई. 014 और 038 में निहित प्रावधानों को जारी रखना है तो वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के क्रमांक 35-41 में आवश्यक संशोधनों के संबंध में विचार करना होगा।

रक्षा मंत्रालय द्वारा उपर्युक्त मुद्दे की जांच की गई। प्र.ए.वि.स. ने अपने दिनांक 26/5/09 के अनुदेश सं0 7 के तहत रक्षा मंत्रालय(वित्त) के निर्णय को सभी संबंधितों को परिचालित किया जिसमें स्पष्ट किया गया नियम 147 एफ.आर.भाग 1 एवं उसके अधीन टिप्पणी(i) तथा (ii) तथा 26 जुलाई, 2006 के सरकारी पत्र की अनुसूची 12(सी) के अधीन टिप्पणी(4)को ध्यान में रखते हुए अनुसूची 12(सी) के क्रमांक 35-41 की मौद्रिक सीमा किसी मद या एक समय पर समान मद की किसी भी संख्या की खरीद पर लागू होगी।

2. श्री एक्स एक रक्षा सिविलियन को ऑस्टोपोरोसिस की चिकित्सा के लिए पुणे में गैर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था, यद्यपि एक सरकारी अस्पताल और कुछ केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के मान्यता प्राप्त अस्पताल जो ऑस्टोपोरोसिस की चिकित्सा उपलब्ध कराते हैं, निकट ही स्थित थे। व्यक्ति ने पुणे में प्राइवेट अस्पताल में अपनी चिकित्सा को आपात आधार पर न्यायोचित ठहराया और उसे विभाग प्रमुख/के.स.स्वा.यो. से पूर्व अनुमति न लेने का आधार बताया। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के उप निदेशक के पास भेजे गए एक संदर्भ पर उनके द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया गया था कि ₹ 20,000 के चिकित्सा बिल को रक्षा लेखा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि जैसा कि उपनिदेशक, के.स.स्वा.से. योजना द्वारा सलाह दी गई है बिमारी आपात प्रकार की नहीं थी और व्यक्ति ने निकट स्थिति सरकारी/के.स.स्वा.से.यो. के मान्यता प्राप्त अस्पतालों से इलाज का लाभ नहीं उठाया था। इस आदेश के विरुद्ध व्यक्ति ने शास्तिक ब्याज के साथ अपने चिकित्सा दावे की प्रतिपूर्ति के लिए कैंद्रीय प्रशासनिक पंचाट, मुम्बई में ओ.ए.संख्या XXX/2008 दायर किया है।

संबंधित अनुभाग अधिकारी (लेखा) के रूप में उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर एक मसौदा प्रति-शपथ पत्र तैयार कीजिए।

(40 अंक)

उत्तर केन्द्रीय प्रशासनिक पंचाट, मुम्बई के समक्ष प्रति-शपथ पत्र

(उत्तरदाताओं की ओर से)
ओ.ए. सं० XXX/2008 में

निम्नलिखित के मामले में
श्री ....आवेदक

विरुद्ध

संघ भारत एवं अन्य ....प्रतिवादी

श्री एएए, भा.र.ले.से., पुत्र श्री बीबीबी, आयु लगभग....................वर्ष का शपथ-पत्र

मैं, उपरिनामित अभिसाक्षी, एतदद्वारा सत्यनिष्ठा से अभिपुष्ट करता हूं तथा सादर निम्नलिखित सूचित कर हूँ-

1- कि अभिसाक्षी वर्तमान में कार्यालय, रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक(नौसेना), मुम्बई में रक्षा लेखा उप नियंत्रक के रूप में कार्यरत है तथा मामले के तथ्यों से भली-भांति परिचित है और प्रतिवादी की ओर से वर्तमान शपथ-पत्र फाइल करने के लिए सक्षम है।

योग्य आधारित उत्तरः
2. आवेदक का कथन कि वह चिकित्सा व्यय के द्वारा ₹ 20,000/- की पूर्ण राशि की प्रतिपूर्ति के हकदार हैं, तर्कसंगत नहीं है, अतः अस्वीकार किया जाता है। ऑस्टोपोरोसिस नामक रोग, जैसा कि उपनिदेशक, के.स.स्वा.यो. द्वारा अभिनिश्चित किया गया, आपात प्रकृत्ति का नहीं है, अतः आपातकाल के आधार पर निजी अस्पताल में इलाज लिया जाना न्यायोचित नहीं है, खासकर उस स्थिति में जब अन्य सरकारी अस्पताल एवं के.स.स्वा.यो. से मान्यता प्राप्त कुछ अस्पताल जो इस रोग का इलाज करने में सक्षम हैं तथा उसी आसपास के क्षेत्र में स्थित हैं। वस्तुतः व्यक्ति द्वारा उचित अस्पताल में अपने मामले को रैफर कराने से संबंधित किसी भी कार्यविधि का पालन नहीं किया गया तथा उसके बजाय स्वंय से ही किसी निजी गैर-मान्यता प्राप्त अस्पताल में इलाज करा लिया, अतः केन्द्र सरकार के चिकित्सा इलाज नियमों के अधीन चिकित्सा प्रतिपूर्ति स्वीकार्य नहीं है। अतः उपर्युक्त आधार पर ओ.के. रद्द माना जाए।

प्रार्थनाः

3. उपरिकथित तथ्यों तथा प्रस्तुतिकरण को ध्यान में रखते हुए ओ.ए. को स्वीकृति के योग्य नहीं माना जा सकता है तथा यह अतार्किक आधार पर है अतः यह लागत सहित रद्द करने के योग्य है। तदनुसार, प्रार्थना की जाती है।

प्रतिवादी

माध्यम से

सरकारी अधिवक्ता

स्टेशनः मुम्बई
दिनांकः 2009

सत्यापनः

2009 के ....माह के ....दिन को मुम्बई में सत्यापित किया जाता है कि पैराग्राफ 1 एव 2 की दी गई अंतर्वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सच्चे एवं सही हैं तथा शेष के संबंध में मुझे विश्वास है कि वह प्राप्त कानूनी परामर्श के अनुसार सही है।

प्रतिवादी

3- रक्षा लेखा विभाग के एक उपकार्यालय में सेवारत श्री एक्स वरिष्ठ लेखा परीक्षक ने विभागाध्यक्ष से विधिवत् अनुमति प्राप्त करके 2.0 लाख की अनुमानित लागत पर एस्कार्ट हार्ट इंस्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सेंटर लिमिटेड, नई दिल्ली में ओपन हार्ट सर्जरी कराई। व्यक्ति को ₹ 1,94,400 का एक अग्रिम भुगतान किया गया था। व्यक्ति ने ₹ 2,65,000 का एक अंतिम बिल प्रस्तुत किया। उसमें से ₹ 1,68,160 को स्वीकार कर लिया गया। व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत कुछ और बिल थे और उन्हें समायोजित करने के पश्चात व्यक्ति द्वारा ₹ 24,940 की धनराशि देय हो गई थी। कार्यालय ने उसके ₹ 4,695 के वेतन से ₹ 2000 की दर से मासिक किस्तों में शेष देय की वसूली का आदेश जारी किया। इससे परेशान होकर व्यक्ति ने दिल्ली उच्च न्यायालय में सं0 XXXX/2002 का एक रिट पेटिशन दायर कर दिया जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि विभाग को यह निदेश दिया जाए कि वे इस आधार पर चिकित्सा व्यय की पूरी प्रतिपूर्ति करें क्योंकि अस्पताल केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन एक मान्यता प्राप्त अस्पताल था और उसके वेतन से मासिक कटौती बंद की जाए।

मामला 12.05.2008 को याचिका कर्ता के पक्ष में निर्णित हुआ और माननीय न्यायालय ने प्रतिवादी को यह निदेश दिया कि वे पहले ही भुगतान की नई धनराशि को घटाकर पूरे चिकित्सा व्यय का भुगता करें। न्यायालय ने यह भी निदेश दिया कि उसके वेतन से काटे गए ₹ 6000 को क्रेडिट किया जाए। माननीय न्यायालय ने यह भी निदेश दिया है कि कुल आंकलित ₹ 10000 की कुल लागत में से ₹ 5000 को याचिकाकर्ता को भुगतान किया जाए और शेष ₹ 5000 की धनराशि को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय, विधिक सेवा कमेटी के पास जमा कराया जाएगा कि प्रतिवादी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अभी भी व्यवहार कर रहा है और कोर्ट डोकेट पर अनावश्यक भार डाल रहा है और अपने कर्मचारियों/रोगियों को असुविधा प्रदान कर रहा है। माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन आदेश की तारीख से दो माह के भीतर किया जाना था।

रक्षा मंत्रालय (वित्त) को संबोधित मुख्यालय कार्यालय से जारी होने वाली एक अनौपचारिक टिप्पणी का मसौदा तैयार करें जिसमें यह प्रार्थना की जाए कि मामले का परीक्षण किया जाए और माननीय न्यायालय के आदेशों को कार्यान्वित किए जाने अथवा अन्यथा के लिए अपना अनुमोदन प्रदान किया जाए।

(35 अंक)

उत्तर.

कार्यालय रक्षा लेखा महानियंत्रक, पश्चिमी खंड-5, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066

विषयः श्री एक्स लेखा परीक्षक द्वारा दायर डब्ल्यु पी में दिल्ली उच्च न्यायालय का दिनांक 12.05.2008 के आदेश का कार्यान्वयन।

विचारार्थ मामला एस्कार्ट हार्ट इंस्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सेंटर लिमिटेड, नई दिल्ली में ओपन हार्ट सर्जरी के लिए श्री एक्स लेखा परीक्षक द्वारा किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए दिनांक 12.05.2008 के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के कार्यान्वयन से संबंधित है।

मामले से संबंधित तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित दिए गए हैः

2- र.ले.उप नियंत्रक(XX) में सेवारत श्री एक्स वरिष्ठ लेखा परीक्षक ने विभागाध्यक्ष से विधिवत् अनुमति प्राप्त करके एस्कार्ट हार्ट इंस्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सेंटर लिमिटेड, नई दिल्ली में ओपन हार्ट सर्जरी कराई।

3- आरंभ में ओपन हार्ट सर्जरी के लिए चिकित्सा व्यय की अनुमानित राशि ₹ 2.0 लाख आंकलित की गई थी तथा व्यक्ति को ₹ 1,94,400 का अग्रिम प्रदान किया गया था। अंततः उक्त ऑपरेशन के दौरान कुल ₹ 265000 की राशि का व्यय हुआ जबकि विभाग ने केवल ₹ 168160 अनुमोदित किए थे। उसके पश्चात कुछ और राशि पास की गई तथा व्यक्ति से शेष बकाया राशि ₹ 24940 सूचित की गई।

4- परिणामस्वरूप, कार्यालय ने उपर्युक्त बकाया राशि के लिए उनके ₹ 4695/- के वेतन से ₹ 2000/- प्रतिमाह की किश्त के रूप में वसूली हेतु आदेश जारी कर दिया।

5- व्यक्ति ने दिल्ली उच्च न्यायालय में सं0 XXXX/2002 के अधीन सिविल रिट पेटिशन दायर कर दी जिसमें प्रतिवादी को चिकित्सा पर हुए व्यय की पूरी राशि की प्रतिपूर्ति के लिए निदेश दिए जाने का अनुरोध किया गया था क्योंकि उक्त अस्पताल के.स.स्वा.यो. से मान्यता प्राप्त था तथा यह भी प्रार्थना की उनकी तुच्छ वेतन से की जा रही मासिक कटौती को भी रोका जाए। तथापि, राशि की कटौती के प्रति याचिकाकर्ता के पक्ष में अंतरिम राहत प्रदान की गई।

6- मामले पर 12.05.2008 को निर्णय लिया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को निदेश दिया है कि वे याचिकाकर्ता को पहले ही भुगतान कि गए ₹ 194400 को घटा कर एस्कॉर्ट अस्पताल द्वारा तैयार किया गया ₹ 265000/- के पूर्ण चिकित्सा व्यय का भुगतान करें। याचिकाकर्ता के वेतन में से अब तक कटौती किए गए ₹ 6000 की भी प्रतिपूर्ति की जाए। आवश्यक कार्रवाई 12.05.2008 से अधिकतम दो माह के भीतर की जाए।

7- माननीय न्यायालय ने यह भी निदेश दिया है कि कुल आंकलित ₹ 10000 की कुल लागत में से ₹ 5000 को याचिकाकर्ता को भुगतान किया जाए और शेष ₹ 5000 की धनराशि को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय, विधिक सेवा कमेटी के पास जमा कराया जाएगा कि प्रतिवादी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अभी भी व्यवहार कर रहा है और कोर्ट डोकेट पर अनावश्यक भार डाल रहा है और अपने कर्मचारियों/रोगियों को असुविधा प्रदान कर रहा है। माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन आदेश की तारीख से दो माह के भीतर किया जाना था।

8- रक्षा मंत्रालय(वित्त), र.ले.वि. समन्वय से अनुरोध है कि कृपया मामले की जांच करें तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 12.02.2008 के फैसले पर कार्यान्वयन या अन्यथा के लिए अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करें।

----ह---

रक्षा लेखा उप महानियंत्रक

रक्षा मंत्रालय(वित्त)
र.ले.वि. समन्यवय, साउथ ब्लॉक,
नई दिल्ली

अ.शा. सं0 प्रशा XXXXXXXXX/कोर्ट केस/X.........../6/2008

प्रश्न 4. दिल्ली स्थित रक्षा लेखा विभाग के एक कार्यालय में कार्यरत श्री एक्स, वरिष्ठ लेखा परीक्षक रेलगाड़ी शटल सेवा से द्वारा दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा करते समय रेलवे दुर्घटना में घायल हो गए। दुर्घटना के परिणामस्वरूप उनके बाएं पैर को काटना पड़ा और दाहिना पैर और एड़ी भी गंभीर रूप से कुचल कर चोटग्रस्त हो गई। श्री एक्स, वरिष्ठ लेखा परीक्षक जो दिल्ली में पिछले चार वर्षों से सेवारत थे, वे सन 2012 में सेवानिवृत्त होंगें। उन्होनें अपनी अशक्तताः के आधार पर रक्षा लेखा महानियंत्रक को उचित माध्यम के द्वारा मेरठ में अपने स्थानांतरण का अभ्यावेदन किया है।

रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक(प्रशासन) को संबोधित और रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले एक अर्धशासकीय पत्र का मसौदा तैयार कीजिए जिसमें अनुकंपा के आधार पर श्री एक्स की मेरठ में तैनाती के लिए मामलों की संस्तुति की जाए।

(35 अंक)

उत्तर 4

श्रीमती एएए, भा.र.ले.से.
रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक

अ.शा.सं 59014/XXX/प्रशा...
र.ले.प्र.नि.
स्थान
दिनांक

प्रिय

मैं इस कार्यालय में दिनांक 05.09.2006 से सेवारत श्री एक्स, वरिष्ठ लेखा परीक्षक, ले.सं____________________ द्वारा प्रस्तुत उनके अनुकंपा के आधार पर मेरठ स्थानांतरण से संबंधित प्रतिवेतन एतदद्वारा अग्रेषित कर रहा हूं।

2. श्री एक्स मेरठ का निवासी है तथा प्रतिदिन रेल द्वारा मेरठ और दिल्ली के बीच यात्रा करता है। 09.09.2008 को दिल्ली से वापिस आते समय व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गया तथा उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। परिणामस्वरूप उनके बाएं पैर को काटना पड़ा और दाहिना पैर और एड़ी भी गंभीर रूप से कुचल कर चोटग्रस्त हो गई।

3- व्यक्ति दुर्घटना के परिणामस्वरूप अब शारिरिक रूप से विकलांग हो गया है तथा अब दिल्ली यात्रा करने की स्थिति में नहीं है। इसके अतिरिक्त, उनके सेवाकाल में सिर्फ तीन वर्ष शेष हैं, उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख 03.04.2012 है।

4- इन सभी तथ्यों तथा व्यक्ति की शारिरिक/चिकीत्सीय परिस्थितयों को विचार में रखते हुए, मैं उनकी मेरठ में तैनाती के लिए मामले की दृढ़ता से अनुशंसा करता हूं। मैं, अतः आपसे उनके मामले पर यथाशीघ्र सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध करता हूं।

............सहित

संलग्न - उपर्युक्तानुसार

आपका

( )

श्री......................................., भा.र.ले.से.
र.ले.संयुक्त महानियंत्रक(प्रशा)
कार्यालय रक्षा लेखा महानियंत्रक
पश्चिमी खंड-5
रामकृष्ण पुरम,
<u>नई दिल्ली-110066</u>

5. दिल्ली में एक नियंत्रक के संगठन में नियंत्रक द्वारा देखा गया था कि कर्मचारियों (राजपत्रित और अराजपत्रित) द्वारा प्रस्तुत किए गए चिकित्सा के आधार पर छुट्टी के प्रार्थना पत्रों के सर्मथन में रजिस्टर्ड चिकित्सकों(आर.एम.पी.) के चिकित्सा प्रमाण-पत्रों और आरोग्य प्रमाण-पत्रों को संलग्न किया गया था जोकि नियम 19, केन्द्रीय सिविल सेवा छुट्टी नियम 1972 में निहित प्रावधानों(परिशिष्ट ए) के विपरीत है।

सभी अनुभागों के प्रभारी अधिकारियों को संबोधित तथा रक्षा लेखा उप नियंत्रक(प्रशा) द्वारा जारी किए जाने वाले एक परिपत्र का मसौदा तैयार करें जिसमें उनका ध्यान इन चूकों की ओर दिलाया जाए और उन्हें यह सलाह दी जाए कि वे ऐसे मामलों पर कार्रवाई करते समय निर्धारित नियमों के कठोरतापूर्क अनुपालन को सुनिश्चित करें।

(35 अंक)

<u>केन्द्रीय सिविल सेवा(छुट्टी नियम) के नियम 19 का उद्धरण</u>

(प्रश्न सं0 5 का परिशिष्ट-ए)

राजपत्रित और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर छुट्टी प्रदान किया जाना

(i) राजपत्रित सरकारी कर्मचारी के मामले में यदि ऐसा सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना का लाभार्थी है तो उसके साथ केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना औषधालय के चिकित्सक द्वारा प्रदान किए गए और यदि वह केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभार्थी नहीं है तो उसके साथ सरकारी अस्पताल अथवा प्राधिकृत चिकित्सा अटेंडेंट के द्वारा प्रदान किए गए और हृदय रोग, कैंसर आदि जैसी किसी विशेष प्रकार की बीमारी, जिसकी चिकित्सा के लिए संबंधित अस्पताल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मान्यताप्राप्त है, वहां अस्पताल में भर्ती होने अथवा इंडोर विशेषज्ञता उपचार के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना अथवा केन्द्रीय सेवाएं(चिकित्सा सहायता) नियम 1944 के द्वारा मान्यताप्राप्त निजी अस्पताल के प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा प्रदान किए गए प्रपत्र 3 में एक चिकित्सा प्रमाणपत्र लगाया जाएगा।

बशर्ते कि यदि राजपत्रित अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना का लाभार्थी है लेकिन बीमार होते समय केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य सेवा योजना क्षेत्र से दूर है अथवा मुख्यालय से बाहर ड्यूटी पर प्रस्थान करता है तो वह उपलब्ध प्राधिकृत चिकित्सा अटेंडेंट के द्वारा बीमार होने का प्रमाणपत्र और आरोग्य प्रमाणपत्र प्रपत्र 3 और प्रपत्र 5, जैसी भी स्थिति हो, में प्रस्तुत करेगा;

(ii) अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी के मामले में यदि ऐसा सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना का लाभार्थी है तो उसके साथ केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना औषधालय के चिकित्सक द्वारा प्रदान किए गए और यदि वह केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना का लाभार्थी नहीं है तो उसके साथ सरकारी अस्पताल अथवा प्राधिकृत चिकित्सा अटेंडेंट के द्वारा प्रदान किए गए और हृदय रोग, कैंसर आदि जैसी किसी विशेष प्रकार की बीमारी, जिसकी चिकित्सा के लिए संबंधित अस्पताल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मान्यताप्राप्त है, वहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित अस्पताल में भर्ती होने अथवा इंडोर विशेषज्ञता उपचार के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना अथवा केन्द्रीय सेवाएं(चिकित्सा सहायता) नियम 1944 के द्वारा मान्यताप्राप्त निजी अस्पताल के प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा प्रदान किए गए प्रपत्र 4 में एक चिकित्सा प्रमाणपत्र लगाया जाएगा।

बशर्ते कि यदि अराजपत्रित अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना का लाभार्थी है लेकिन बीमार होते समय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना से दूर है अथवा मुख्यालय से बाहर ड्यूटी पर प्रस्थान करता है तो वह प्राधिकृत चिकित्सा अटेंडेंट के द्वारा और यदि उसके आवास से आठ किलोमीटर के दायरे के भीतर अथवा अपने मुख्यालय से बाहर अस्थायी ठहराव के स्थान पर कोई प्राधिकृत चिकित्सा अटेंडेंट उपलब्ध नहीं है और साथ ही उन परिस्थितियों में जहां वह चिकित्सा प्रमाणपत्र अथवा आरोग्यता प्रमाणपत्र को एक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना औषधालय के चिकित्सक से अथवा एक प्राधिकृत चिकित्सा अटेंडेंट के द्वारा प्रदान किए गए चिकित्सा प्रमाणपत्र अथवा आरोग्य प्रमाणपत्र को प्राप्त करने में असमर्थ है तो वहां रजिस्टर्ड मैडिकल प्रैक्टीशनर के द्वारा प्रदान किए गए चिकित्सा प्रमाणपत्र अथवा आरोग्यता प्रमाण पत्र 4 और 5 में, जैसी भी स्थिति हो, को प्रस्तुत करेगा।

उत्तर

परिपत्र

सं0 प्रशा/XXXX/जिल्द
कार्यालय र.ले.नि.
नई दिल्ली
दिनांकः

सेवा में,
प्रभारी अधिकारी
अनुभाग

विषयः **राजपत्रित और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर छुट्टी प्रदान किया जाना**

के.सि.से.(छुट्टी) नियम, 1972 में निहित प्रावधानों से सहमत होते हुए, सरकारी सेवक(राजपत्रित और अराजपत्रित) को चिकित्सा आधार पर छुट्टी के लिए आवेदन करते समय यदि वह के.स.स्वा.योय का लाभार्थी है, तो केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालय या सरकारी अस्पताल से अथवा यदि वह के.स.स्वा.यो. का लाभार्थी नहीं है तो सी.एस.(एम.ए.) नियम, 1942 के अधीन मान्यताप्राप्त में चिकित्सक द्वारा दिए गए फार्म 3 या 4 में चिकित्सा प्रमाणपत्र लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अराजत्रित सरकारी सेवक जो के.स.स्वा.यो. का लाभार्थी नहीं है, लेकिन बीमार होने के समय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना क्षेत्र से दूर है अथवा मुख्यालय से बाहर ड्यूटी पर प्रस्थान करता है तो वह फार्म-3 या फार्म-5, जैसा भी प्राधिकृत चिकित्सा प्रमाणपत्र में मामला दिया गया हो, में चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा। तथापि, अराजपत्रित सरकारी सेवक जो के.स.स्वा.यो. का लाभार्थी है के मामले में, तथा बीमार होने के समय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना क्षेत्र से दूर है तो वह प्राधिकृत चिकित्सा अटेंडेंट के द्वारा और यदि उसके आवास से आठ किलोमीटर के दायरे के भीतर अथवा अपने मुख्यालय से बाहर अस्थायी ठहराव के स्थान पर कोई प्राधिकृत चिकित्सा अटेंडेंट उपलब्ध नहीं है तो वहां रजिस्टर्ड मैडिकल प्रैक्टीशनर के द्वारा प्रदान किए गए चिकित्सा प्रमाणपत्र अथवा आरोग्यता प्रमाण पत्र 4 और 5 में, जैसी भी स्थिति हो, को प्रस्तुत करेगा।

तथापि यह देखा गया है कि राजपत्रित एवं अराजपत्रित सरकारी सेवक जो वह के.स.स्वा.यो. के लाभार्थी हैं, तथा लेकिन बीमार होने के समय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना क्षेत्र से दूर है उपर्युक्त दिए गए फार्म 3 एवं 5 क्रमशः में चिकित्सा प्रमाणपत्र अथवा आरोग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। वे अपनी छुट्टियों के नियमन के लिए के.स. स्वा. यो. या प्राधिकृत चिकित्सा अटेंडेंट के अतिरिक्त अन्य चिकित्सकों द्वारा जारी प्रमाणपत्र/आरोग्यता प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि नियमों में निहित प्रावधानो के विरुद्ध है।

अतः मुझे सक्षम प्राधिकारी द्वारा सभी अनुभागों के प्रभारी अधिकारियों को निदेशित करने का निदेश दिया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि चिकित्सा आधार पर छुट्टियों के नियमन के लिए प्रस्तुत किए गए चिकित्सा प्रमाणपत्र अथवा आरोग्यता प्रमाण पत्र उपर्युक्त नियमों में दिए गए प्रावधानों को पूरा करते हैं। यह सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाए कि भविष्य में छुट्टियों के नियमन के लिए चिकित्सा प्रमाणपत्र अथवा आरोग्यता प्रमाण पत्र समुचित प्रोफार्मा में तथा छुट्टी नियमों के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करते हुए प्रस्तुत किए जाएं अन्यथा चिकित्सा आधार पर छुट्टियों के उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

-ह-
रक्षा लेखा उप नियंत्रक(प्रशा)

6. संख्या 4 सुनहरीबाग रोड़, नई दिल्ली में स्थित सी-इन-सी, एफ.एफ.सी. के शासकीय आवास के कार्यालय भाग के लिए बिजली के बिल भुगतान के लिए एक नियंत्रक के कार्यालय में निदेशक(निर्माणकार्य) अग्रामी मुख्यालय, एफ.एफ.सी. दिल्ली छावनी से प्राप्त हुए थे। व्यय मुख्य शीर्ष 2077(नौसेना) लघुशीर्ष 112 जे एस, कूट शीर्ष 695/11 को डेबिट योग्य है और उसकी स्वीकृति एकीकृत वित्तीय सलाहकार के परामर्श से एम.ए./सी.इन.सी. के द्वारा प्रदान की गई थी।

सी-इन-सी. के शासकीय आवास की तुलना में कार्यालय भाग के बिलों की जांच करने पर यह देखा गया कि आवासीय भाग के लिए पिछले चार महीनों यथा दिसंबर 2008 से मार्च 2009 तक के लिए बिजली के बिल पर औसत मासिक व्यय ₹ 1077 है जबकि कार्यालय भाग पर व्यय विस्मयकारी रूप सं ₹ 7432 है।(परिशिष्ट-'क') उपर्युक्त पर स्पष्टीकरण मांगते हुए बिलों को निदेशक, निर्माणकार्य को वापस कर दिया गया था(परिशिष्ट-'ख')।

रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक से इस आशय का आदेश प्राप्त करने के लिए एक कार्यालय टिप्पणी का मसौदा तैयार कीजिए कि अग्रामी मुख्यालय, एस.एफ.सी. द्वारा प्रेषित उत्तर (परिशिष्ट-'ग') अपर्याप्त है और यह कि उस समय तक बिलों को लेखापरीक्षा में स्वीकार न किया जाए जब तक कि (i) कार्यालय भाग का क्षेत्र, (ii) आवास का क्षेत्र, और (iii) कार्यालय भाग में लगाए गए विद्युत उपकरण आदि के संबंध में उठाए गए बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण नहीं प्रदान कर दिया जाता है।

(35 अंक)

<u>प्रश्न संख्या 6 का परिशिष्ट 'क', 'ख' एवं 'ग'</u>

(परिशिष्ट 'क',)

बिजली के बिलों का ब्यौराः		
बिल का महीना	आवासीय भाग के लिए कार्यालय द्वारा किया गया भुगतान	कार्यालय भाग के लिए लोक-निधि से किया गया भुगतान
दिसम्बर 2008	शून्य	₹ 5827
जनवरी 2009	₹ 3588 (12/2008 और 1/2009 के लिए)	₹ 12717
फरवरी 2009	₹ 327	शून्य
मार्च 2009	₹ 393	₹ 11184(2/2009 और 3/2009 के लिए)
योग	**₹ 4308**	**₹ 29728**

परिशिष्ट 'ख',

अग्रामी मुख्यालय एसएफसी
दिल्ली छावनी-110010
दिनांक 24 जून, 2009

एस.एफ.सी./1004/1/सी-इन-सी
रक्षा लेखा उपनियंत्रक
कार्यालय, रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक
नई दिल्ली-110010

सी-इन-सी, एस एफ सी के रिहायशी आवास के संबंध में बिजली के बिलों का भुगतान।

1. कृपया अपने दिनांक 03 जून, 2009 के पत्र सं0 22023/1/2के/नाडल/सीपीडब्ल्यूडी का अवलोकन करें।

2. 4 सुनहरी बाग 2003 से स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमान(एस.एफ.सी.) के कमांडर इन चीफ(सेवाओं के वाइस चीफों के समकक्ष) के शासकीय आवास के रूप में नामित है। संपूर्ण कमांड भवन तीन भागों में विभक्त है अर्थात आवासीय, शासकीय(बाह्य सुरक्षा क्षेत्र और कार्यालय) और सेवकों के क्वार्टर तथा बिजली के तीन बिल अलग-अलग आते हैं और तदनुसार उनका भुगतान किया जाता है।

3. सक्षम वित्तीय प्राधिकारी ने आवास के शासकीय भाग(बाह्य सुरक्षा क्षेत्र और कार्यालय) के बिजली के बिलों का भुगतान वाइस चीफों और सी.आई.एस.एफ.के. के शासकीय आवासों के शासकीय भागों के लिए किए जा रहे भुगतान के अनुरूप मुख्य शीर्ष 2077(नौसेना) लघु शीर्ष 112 जे एस, कूट शीर्ष 695/11 के अधीन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। प्रत्येक भाग के लिए समुचित विद्युत खपत को विनियमित करने के लिए नई दिल्ली महानगर परिषद ने अलग-अलग मीटरों को स्थापित किया है। शासकीय भाग में वह बाह्य क्षेत्र भी सम्मिलित है जिसमें लगभग 1100 वर्ग गज के क्षेत्र को कवर करने के लिए सुरक्षा प्रकाश की व्यवस्था की गई है। सी-इन-सी, एस.एफ.सी. एक महीने मे औसतन 7-10 दिनों तक अस्थायी ड्यूटी में व्यापक रूप से यात्रा भी करते हैं, इन दिनों के दौरान आवसीय भाग का उपयोग केवल रख-रखाव और सफाई के उद्देश्य के लिए किया जाता है और इस प्रकार लगभग माह के चौथे भाग के लिए बिजली की खपत कुछ भी नहीं होती है। यहां यह कहना भी महत्वपूर्ण होगी कि विलंबित समयों में और सप्ताहांतों में शासकीय भाग में तीनों सेवाओं और मुख्यालय एम.एस.सी. के वरिष्ठ अधिकारीगण पधारते रहते हैं।

4. बिजली के बिल प्रत्येक मीटर की विद्युत खपत(पठन) के अनुसार प्रभारित किए जाते हैं। इसके साथ ही साथ सेवक के क्वार्टर को लगभग ₹1000 से ₹1500 के बिजली के बिल को भी मासिक आधार पर सी-इन-सी द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

5. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए आपसे निवेदन है कि आप समाधान करें और संलग्न आकस्मिक बिल के अनुसार जून 09 के महीने के लिए शासकीय बिल का भुगतान करें।

लेफ्टिनेंट कर्नल
सी-इन-सी-के.डी.ए.

परिशिष्ट 'ग ',

कार्यालय, रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक

सं0 22023/1/2के/नोडल/सीपीडब्ल्यू डी   दिनांकः 03.06.09

सेवा में,

निदेशक(निर्माण कार्य)
अग्रामी मुख्यालय एस.एफ.सी.
दिल्ली छावनी-110010

विषयः सी-इन-सी, एस.एफ.सी. के शासकीय आवास के कार्यालय के संबंध में बिजली के बिलों का भुगतान।

सं0 4 सुनहरीबाग रोड़, नई दिल्ली में स्थित सी-इन-सी, एस.एफ.सी. के रिहाइशी आवास के कार्यालय भाग के संबंध में बिजली शुल्क बिलों के भुगतान के लिए यह कार्यालय उत्तरदायी है।

2. तथापि सं0 4, सुनहरीबाग रोड़, नई दिल्ली में स्थित आवासीय भाग की तुलना में कार्यालय भाग के लिए भुगतान से पूर्व बिलों की जांच के दौरान यह देखा गया है कि एक ओर जहां आवासीय भाग के लिए पिछले चार महीनों (दिसम्बर 2008 से मार्च 2009) के लिए बिजली के बिलों के भुगतान के लिए औसत मासिक खपत लगभग ₹ 1077 हैं, वहीं दूसरी ओर कार्यालय भाग पर व्यय विस्मयकारी रूप से ₹ 7432 है। इस कार्यालय का यह मत है कि संख्या 4 सुनहरीबाग रोड़, नई दिल्ली के कार्यालय भाग और आवासीय भाग का व्यय उपर्युक्त उल्लिखित धनराशि का परस्पर ठीक उल्टा होना चाहिए था।

3. उपर्युक्त को दृष्टि में रखते हुएय निवेदन है कि मामले का और आगे पुनः परीक्षण किया जाए। आवास में कार्यालय भाग के क्षेत्र का उल्लेख उसके प्राधिकार के साथ किया जाए। साथ ही साथ कार्यालय भाग में विद्युत जुड़नारों/उपरकणों की सूची भी प्रस्तुत की जाए। इस बात का भी कृपया उल्लेख किया जाए कि क्या आवासीय और कार्यालय भागों के लिए अलग-अलग मीटरों को स्थापित किया गया है। यदि नहीं, तो व्यय को प्रभावित करने के आधार/पद्धति को बताया जाए।

4. चूंकि अगले चक्र के लिए भुगतान आपके कार्यालय से उत्तर प्राप्त हो जाने के पश्चात ही किया जाएगा, अतः आपसे निवेदन हे कि विषय में शीघ्र कार्रवाई की जाए।

रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक द्वारा अवलोकित।

-ह-
रक्षा लेखा उप-नियंत्रक

उत्तर

कार्यालय टिप्पणी

सं9 22023/1/2 के

दिनांकः 07/09

विषयः सी-इन-सी, एस.एफ.सी. के रिहाइशी आवास के कार्यालय भाग के लिए बिजली के बिलों की लेखापरीक्षा।

अग्रामी मुख्यालय, एस.एफ.सी., दिल्ली छावनी सं0 4, सुनहरीबाग रोड़, नई दिल्ली स्थित सी-इन-सी., एस.एफ.सी. के शासकीय आवास के कार्यालय भाग के बिजली के बिलों का भुगतान मुख्य शीर्ष 2077(नौसेना), लघु शीर्ष 112 जे, कूट शीर्ष 695/11 में से कर रहा है। व्यय के लिए निधि का आबंटन मुख्यालय आई.डी.एस. द्वारा मुख्यालय एस.एफ.सी. के निपटान पर पर छोड़ा हुआ है। व्यय एम.ए./सी-इन-सी द्वारा ए.वि.स. के परामर्श के साथ स्वीकृत किया गया है।

2. निदेशक(निर्माण कार्य) द्वारा प्रस्तुत शासकीय आवास के कार्यालय भाग के बिजली के बिलों की जांच के दौरान देखा गया है कि आवासीय भाग के लिए पिछले चार महीनों (दिसम्बर 2008 से मार्च 2009) के लिए बिजली के बिलों का औसत व्यय लगभग ₹ 1077 हैं जबकि कार्यालय भाग पर बिजली के बिलों का औसत व्यय लगभग ₹ 7432 है। अधिकारी द्वारा पिछले 4 माह के दौरान आवासीय भाग पर तथा कार्यालय भाग के लिए लोक निधि से किया गया भुगतान अवलोकनार्थ नीचे दर्शाया गया हैः

बिल का महीना	आवासीय भाग के लिए कार्यालय द्वारा किया गया भुगतान	कार्यालय भाग के लिए लोक-निधि से किया गया भुगतान
दिसम्बर 2008	शून्य	₹ 5827
जनवरी 2009	₹ 3588 (12/2008 और 1/2009 के लिए)	₹ 12717
फरवरी 2009	₹ 327	शून्य
मार्च 2009	₹ 393	₹ 11184(2/2009 और 3/2009 के लिए)
योग	**₹ 4308**	**₹ 29728**

3. ऊपर दिए गए ब्यौरे से आवासीय भाग के बिजली के बिलों के भुगतान पर किया गया व्यय प्रत्यक्षततः तार्किक रूप से सही प्रतीत नहीं होता है। वास्तव में आवासीय भाग के बिजली के बिलों पर व्यय कार्यालय भाग से अधिक होना चाहिए। चूंकि कार्यालय भाग के बिजली के बिलों पर किया व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाता है, मामले को बिलों की लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व निम्नलिखित बिन्दुओं को सुनिश्चित करने के लिए इस कार्यालय के दिनांक 03.06.09 के समसंख्यक पत्र के अधीन निदेशक(निर्माण कार्य), अग्रामी, एच.क्यू.एस.एफ.सी., दिल्ली छावनी के समक्ष उठाया गयाः

(i) शासकीय आवास में कार्यलय भाग का क्षेत्र तथा उसके समर्थन में प्राधिकार

(ii) इलैक्ट्रिकल बिलिंग एवं कार्यालय भाग में उपकरणों की सूची

(iii) क्या आवासीय एवं कार्यालय भाग में अलग-अलग मीटर स्थापित किए गए हैं। तो व्यय के बंटवारे का आधार/विधि।

4.	इसके प्रत्युत्तर में निदेशक(निर्माण कार्य) द्वारा उनके दिनांक 24.06.09 के पत्र में प्रस्तुत उत्तर अवलोकनार्थ नीचे दिया गया है। उक्त पत्र में दिए गए ब्यौरे से देख गया है कि उत्तर निम्नलिखित आधार पर अपूर्ण हैः

(i)	कार्यालय भाग का क्षेत्र रिहायशी आवास में कमरो की संख्या के साथ नहीं दिया गया है।

(ii)	कार्यालय भाग में बिजली के उपकरणों/फिटिंग की सूची नहीं भेजी गई है

(iii)	आवासीय भाग के लिए बिजली की खपत सी-एन-सी की अक्सर यात्राओं के कारण लगभग एक-चौथाई माह के लिए शून्य दिखाई गई है किन्तु कार्यालय भाग के साथ यही स्थिति क्यों नहीं अपनाई गई, इस संबंध में निदेशक(निर्माण कार्य) द्वारा कोई कारण नहीं दिया गया है।

निदेशक(निर्माण कार्य) ने अपने उपर्युक्त दिए गए पत्र के अधीन सूचित किया है कि सेवक के क्वार्टर के लगभग ₹1000/- से ₹1500/- के बिजली के बिलों का मासिक आधार पर भुगतान भी सी-इन-सी द्वारा ही किया जाता है। तथापि, सेवक के क्वार्टर के बिजली के बिलों की प्रति भेजी/संलग्न नहीं की गई है।

5.	उपर्यक्त को देखते हुए, यदि सहमत हों तो मामले को उस कार्यालय द्वारा प्रस्तुत बिजली के बिलों को लेखापरीक्षा के लिए भेजने से पहले उपर्युक्त पैरा-4 में दर्शाए गए बिन्दुओं के स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए निदेशक(निर्माण कार्य) के समक्ष मामले को फिर से उठाने का प्रस्ताव किया जाता हॊ ।

सादर प्रस्तुत।

सहायक लेखा अधिकारी

समूह अधिकारी

रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक